संख्याः–265/XVII(1)/09–42(प्रकोष्ठ)/2006

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
सचिवालय प्रशासन,
देहरादून।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ। देहरादून, दिनांक 01 अप्रैल, 2009

**विषयः समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक द्वारा पारित धनराशियों की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–205/XXVII(1)/2009, दिनांक 25 मार्च, 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2009–10 के 04 माहों के लेखानुदान (01 अप्रैल,2009 से 31 जुलाई,2009 तक के लिये ) में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत सचिवालय स्तरीय समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ अधिष्ठान के अधिष्ठान व्यय हेतु **आयोजनेत्तर पक्ष** में प्राविधानित धनराशि में से संलग्नक के अनुसार **रू0 11,25,000 (रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

3– यह व्यक्तिगत रुप से सुनिश्चित कर लें कि आवश्यकतानुसार आबंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में, चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध मे हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

4– अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम),वित्तीय नियन संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम),आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम,शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कमशः...2...पर

6. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–आयोजनेत्तर– 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 001–निदेशन तथा प्रशासन– 07–एस.सी.पी. / टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान– 00–" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 20(NP) / XXVII(3) / 2009,दिनॉक 24 अप्रैल,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नः– यथोपरि ।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त.

**संख्याः–265(1) / XVII(1) / 09–42(प्रकोष्ठ) / 2006 / तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
3. वित्त (व्यय नियंत्रक)अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) ।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन ।
7. केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय,सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या: 265/XVII(1)/09–42(प्रकोष्ठ)/2006, दिनांक 0[illegible] मई, 2009 का संलग्नक

लेखा शीर्षक : अनुदान संख्या–30

आयोजनेत्तर मतदेय

2225–01–001–07–00

मुख्य शीर्षक 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक 001–निदेशन तथा प्रशासन
उप शीर्षक 07–एस.सी.पी./टी.एस.पी.नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान
व्यौरेवार शीर्षक 00–

(रूपये हजार में)

| मानक मद | आबंटित धनराशि |
|---|---|
| 04–यात्रा व्यय | 08 |
| 08–कार्यालय व्यय | 17 |
| 11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 17 |
| 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1000 |
| 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 33 |
| 45–अवकाश यात्रा व्यय | 17 |
| 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 33 |
| योग : | 1125 |

(रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र)

(सी0एम0एस0बिष्ट)
अपर सचिव

Gobhal Budget 08-09